राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन न. 0141–2221590, E mail ID : pd-immu-rj@nic.in

क्रमांक :–इम्यू / Covid-19 / 2020–21 / 3798

दिनांक :– 9/5/2021

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
समस्त जिले

विषय– दिनांक 1 मई 2021 से 18 से 44 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के कोविड टीकाकरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

प्रदेश में दिनांक 1 मई 2021 से 18 से 44 वर्ष की आयु के व्यक्तियों का निशुल्क कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। चूंकि सीरम इन्सटिट्यूट से प्रथम बार 3.00 लाख वैक्सीन डोजेज ही प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर आम जन समुदाय के साथ–साथ आवश्यक सेवाओं से जुडे विभागों के कार्य स्थल पर, कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र मे कार्यरत कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों तथा कोविड नियंत्रण में कार्य कर रहे विभागों के अधिकारी / कर्मचारियों आदि में कोविड संक्रमण के खतरे के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर कोविड संक्रमण से ज्यादा प्रभावित 12 जिलो (जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, पाली, धौलपुर, सीकर, भीलवाडा, बीकानेर) में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लाभार्थियों का निशुल्क वैक्सीनेशन निम्न प्राथमिकता के अनुसार किया जावे–

- कोविड प्रबंधन में कार्य कर रहे विभिन्न विभागो के अधिकारी / कर्मचारी।
- डीओआईटी (DoIT) के कार्मिक
- विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी
- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी
- परिवहन विभाग, राजस्व अर्जन वाले विभाग (यथा – वाणिज्य कर, खनन एवं पेट्रोलियम, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग तथा वित्त विभाग इत्यादि के कार्मिक।
- मीडियाकर्मी व हॉकर्स
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चालक / परिचालक व अन्य अधिकारी व कर्मचारी
- निर्वाचित जनप्रतिनिधि
- वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी
- पशुपालन विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी
- बैंक कार्मिक
- रेल्वे के फ्रन्टलाईन कार्मिक
- एयरपोर्ट के फ्रन्टलाईन कार्मिक
- इण्डसट्रीयल वर्कर, ऑक्सीजन सप्लायर्स (ट्रक डाईवर, प्लॉनट पर कार्यरत कर्मचारी)
- उचित मूल्य की दुकानो के राशन डीलर

- ई–मित्र कियोस्क संचालक, इन्दिरा रसोई योजना के कार्मिक, स्ट्रीट वेण्डर, किराना दुकानदार, आटा चक्की वाले, सब्जी बेचने वाले, डेयरी बूथ संचालक, मंडियों में कार्य करने वाले व्यापारी व अन्य व्यक्ति।
- दवा की दुकानो पर काम करने वाले फार्मासिस्ट।
- पेट्रोल पम्प के कार्मिक व एलपीजी गैस वितरण करने वाले व्यक्ति।

वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होने के पश्चात सभी जिलो में भी उक्त प्राथमिकता के अनुसार 18 से 44 वर्ष के आयु के लाभार्थियों का कोविड वैक्सीनेशन किया जावे।

सिद्धार्थ

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सहायक, मिशन निदेशक एनएचएम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, अति0 निदेशक (आर.सी.एच.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन समस्त जोन
7. जिला कलक्टर, जिला समस्त जिले
8. परियोजना निदेशक (टीकाकरण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
9. प्रतिनिधि यूनिसेफ / यूएनडीपी / डब्ल्यूएचओं / निपि / यूएनएफपीए
10. प्रभारी सर्वर रूम।

(सुधीर कुमार शर्मा)
मिशन निदेशक, एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव